(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 2759–दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 21–07–2016 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ,नागौद जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 81/अपील/2014–15.

1–जगदीश प्रसाद तिवारी तनय रामप्रसाद तिवारी
2–अनमोलतिवारी तनय काशीप्रसाद तिवारी
जरिये संरक्षक मां सविता तिवारी पत्नी
काशी प्रसाद तिवारी तनय जगदीश प्रसाद तिवारी
निवासीगण ग्राम कल्पा तहसील नागौद
जिला सतना म0प्र0 ---- अपीलांटगण

विरूद्ध

1–श्याम बिहारी तिवारी तनय राम प्रसाद तिवारी
2–श्री निवास तिवारी तनय रीम प्रसाद तिवारी
निवासीगण ग्राम कल्पा तहसील नागौद
जिला सतना म0प्र0

---- रेस्पोडेन्टगण

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश
(आज दिनांक 10-01-2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह अपील अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–07–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 109/110 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि

मौजा कल की आराजी न0 40/1, 49, 50/1ब, 50/2अ, 51/1 52, 80/1अ, 81/1अ, 81/2अ, 416/1, 417/1अ, 417/2अ, 417/3अ, 417/4अ, 418/1अ, 418/2अ,418/3अ, 418/4अ, 418/5, 418/6अ, 519/2अ, 536/1 कुल किता 22 रकवा 9.25 एकड़ को लेकर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य उक्त आराजियातों को लेकर प्रकरण कमांक 82/अ–6/अपील/92–93 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नागौद के समक्ष चला था जिसमें जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सिंहपुर तहसील नागौद द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–6/92–93 में पारित आदेश दिनांक 17.6.93 जो अनावेदक जगदीश तिवारी के पक्ष में पारित किया गया था उसे अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि बादग्रस्त आराजियात में अभिलिखित भूमिस्वामी देवरती के उत्तराधिकारियों, पक्षकारों की सुनवाई कर गुण दोष के आधार पर नाम दर्ज करें। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नागौद द्वारा पारित आदेश के बाद अनावेदक जगदीश प्रसाद तिवारी आवेदकगण से कहने लगा कि अब न्यायालयीन कार्यवाही की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही तुम्हारे यानि आवेदकगण के हक हिस्से की भूमि 1/3– 1/3 करा दूंगा। आवेदकगण कई बार अपने भाई अनावेदक से कहते रहे कि न्यायालय में चल करआप स्वयं हमारे हक हिस्सा की भूमि करा दें, तो अनावेदक हमेशा टाल मटोल करता रहा। दिनांक 25.8.11 को अनावेदक स्वयं आवेदकगण को बुलाकर नागौद तहसील ले आया वह बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कराया तथा सहमति का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया । उक्त स्वीकृत के बाद अनावेदक लालचबस पैसों की मांग करने लगा तथा गांव के पास की जमीन मांग करने लगा। प्रश्नाधीन भूमियों में अनावेदक जगदीश प्रसाद का नाम दिखाउ भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है क्यों कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नागौद द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–6/92–93 आदेश दिनांक 17.6.93 निरस्त हो चुका है। अतः अनुविभागीय अधिकारी नागौद द्वारा पारित आदेश अनुसार राजस्व अभिलेख पूर्ववतः दर्ज कराया जाकर उक्त वर्णित भूमियां में आवेदकगण का 1/3 –1/3 हिस्सा दर्ज कराया जाय। एक अन्य आवेदन पत्र आवेदक/उत्तरवादीकमांक–2 की ओर प्रश्नाधीन भूमियों के खाता विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदनपत्र को भी संयोजित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई तथा सुनवाई उपरांत आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दावा प्रमाणित

न मानते हुये खारिज किया गया। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की उनके द्वारा प्रकरण कमांक 81 / अपील / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 21.7.16 द्वारा अपील स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहागया हे कि दिनांक 25.8.2011 को तहसील न्यायालय में प्रत्यर्थीगण ने बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और कहाकि उक्त वर्णित भूमियों में प्रत्यर्थीगण का 1 / 3 – 1 / 3 हिस्से दर्ज कराया जाये, तथा अपीलार्थी कमांक –1 ने भी प्रश्नाधीन भूमियों के खाता विभाजन हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उक्त आवेदन – पत्र को भी एक साथ संयोजित कर नायब तहसीलदार वृत्त सिंहपुर तहसील नागौद जिला सतना द्वारा कार्यवाही की गई तथा दोनों आवेदन–पत्रों को अपने आदेश दिनांक 8.4.15 द्वारा खारिज कर दिया। उनके द्वारा अपने तर्क में आगे कहा है कि तहसील न्यायालय के इस आदेश के विरूद्व प्रत्यर्थीगण ने अनुविभागीय अधिकारी नागौद के यहां अपील प्रस्तुत की गई जिस पर प्रकरण कमांक 81 / अपील / 2014–15 पर दर्ज कर अपना आलोच्य आदेश दिनांक 21.7.16 को पारित कर अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है जो स्थिर रखने योग्य नहीं है, क्यों कि अनावेदकगणों द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रमाणित खसरा नकल वर्ष 1988–89 लगायत 92–93 में चिरौंजिया बेवा गुरूदयाल ब्राम्हण निवासी देह भू–स्वा0 दर्ज खसरा अभिलेख होना पाया गया था, इससे प्रमाणित है कि आराजियों की स्वतंत्र खातेदार भूमिस्वामी चिरोंजिया बेवा गुरूदयाल ब्राहम्ण थी जो दान ग्रहीता अपीलाथीगण जगदीश प्रसाद तिवारी को प्राप्त हुआ था। मु0 चिरौंजिया द्वारा अपनी स्वेच्छा से दिनांक 13.9.1965 को अपीलार्थी जगदीश प्रसाद के नाम रजिस्टर्ड दानपत्र निष्पादित किया था। दानपत्र के मुताबिक अपीलार्थी जगदीश प्रसाद तिवारी के नाम नामांतरण हो गया था। चिरोजिया सन् 1975 में फौत हो गयी थी, तभी अपीलर्थीगण का कब्जा उक्त प्रश्नाधीन ूमि पर चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक प्रत्यावर्तित प्रकरण में अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर प्रकरण की सुनवाई कर इश्तहार का प्रकाशन कराया तथा सही प्रकरण को तलब किया गया तथा उभयपक्ष के साक्ष्य लिये गये। प्रत्यर्थीगण द्वारा दानपत्र जो रजिस्टर्ड है उसे निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा

इन सभी तथ्यों को अनदेखा कर दिनांक 21.7.16 पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी नागौद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.7.16 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4— अनावेदकगण को रजिस्ट्री कमांक ए.आर.आई. 463559741 आई.एन दिनांक 24.6.17 सूचना पत्र जारी किया गया उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी अपील मेमों में उल्लेख किया गया है। आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से आदेश में यह तथ्य लिया गया है कि मु0 देवरती के उत्तराधिकारियों के संबंध में सुनवाई कर आदेश पारित करना चाहिये था, दूसरा तथ्य यह भी लिया गया है कि पिता के जीवित रहने पर पुत्र को उनकी संपत्ति में बटवारा कराने का कोई हक नहीं है, इन्हीं तथ्यों को मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी नागौद द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है। नायब तहसीलदार नागौद वृत्त सिंहपुर जिला सतना का प्रकरण देखने से स्पष्ट कि नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी जगदीश प्रसाद तिवारी के द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत दानपत्र दिनांक 13.9.1965 का अवलोकन किया गया दानपत्र सब रजिस्ट्रार सब डिस्टिक नागौद द्वारा पंजीकृत पाया गया है। दानकर्ता मुस0 चिरौंजिया उम्र—60 वर्ष बेवा गुरूदयाल ब्राम्हण निवासी कल्पा ने अपीलार्थी दानग्रहीता जगदीश प्रसाद आयु 25 वर्ष तनय रामप्रसाद ब्राम्हण निवासी कल्पा के नाम कुल किता 22 रकवा 9.22 लान 14.37 स्थित ग्राम कल्पा तहसील नागौद मालयती 300.00 आजं के दिन वहक दानग्रहीता प्रकाशित किया जाता है । दान पत्र में यह भी लिखा है कि उपरोक्त आराजी मुझे दानकर्ता के पटट् व स्वामित्व की है तथा मुझे हर प्रकार के हक मुन्तकली के प्राप्त हैं। दानकर्ता ने यह भी लेख किया है कि मेरी लड़की का लड़का दानग्रहीता रहता है व ह मेरी सेवा खुसामद स्थिर बुद्दि की दशा पर बिना दबाव व बहकावे के अपनी उपरोक्त आराजी व हक दानग्रहीता को दान कर कब्जा दखल मालकाना पूर्ण रूप से दे दिया। दानपत्र दिनांक 13.9.65 की तिथि से 1.3.92 तक इतने समय में अनावेदक बसीयतग्रहीता क्या करते रहे। विचारण न्यायालय के प्रकरण क्रमांक

12/अ—6/92—93 में पारित आदेश दिनलांक 17.6.93 से ही ज्ञात हो सकता था लेकिन उक्त प्रकरण विचारण न्यायालय में प्राप्त न होने के कारण प्रमाणित नहीं हो सकता। आवेदकगणों के द्वारा विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के नामांतरण के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी नागौद के न्यायालय में नकल या छाया प्रति अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना चाहिये थी लेकिन आवेदकगणों के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया। दावा प्रमाणित करने का भार आवेदक का होता है लेकिन आवेदकगणों द्वारा ऐसा नहीं किया गया। **म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) दानदाता द्वारा रजिस्टर्ड दान, निरस्त नहीं किया जा सकता (फुगुआराम बनाम मीलो बाई 1980 राजस्व निर्णय 345 पैरा 5, 6, 8 प्रति पादित है)** अनावेदकगणों को आवेदकगण के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड दानपत्र की जानकारी खसरा अभिलेख प्राप्त करने के समय भी हुई थी तो दान पत्र के विरूद्व सक्षम न्यायालय में रज़िस्टर्ड दानपत्र को निरस्त कराने हेतु वाद दायर करना चाहिये था जो नहीं किया गया।

5—उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से आदेश में यह तथ्य लिया गया है कि मु0 देवरती के उत्तराधिकारयों के संबंध में सुनवाई कर आदेश पारित करना चाहिये था दूसरा तथ्य यह भी लिया गया हें कि पिता के जीवित रहने पर पुत्र को उनकी संपत्ति में बटवारा कराने का कोई हक नहीं है, इन्हीं तथ्यों को मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी नागौद द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है जबकि उनके द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र निरस्त करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है इस ओर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी नागौद के प्रकरण कमांक 81/अपील/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 21.7.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप नायब तहसीलदार वृत्त सिंहपुर तहसील नागोद जिला सतना का प्रकरण कमांक 12/अ—6/92—93 में पारित आदेश दिनांक 17.6.93 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर